

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में वाहनों पर करों का आरोपण एवं संग्रहण, मोटर वाहन अधिनियम, 1988; केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989; बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 एवं बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के प्रावधानों द्वारा शासित है। यह सरकार स्तर पर प्रधान सचिव, परिवहन विभाग तथा विभाग के सर्वोच्च स्तर पर राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा प्रशासित है। उनके कार्य संपादन में मुख्यालय स्तर पर दो संयुक्त राज्य परिवहन आयुक्त सहयोग करते हैं। राज्य को नौ¹ क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों तथा 38 जिला परिवहन कार्यालयों में बाँटा गया है। उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा सहायता की जाती है। राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार का मुख्य कार्य वाहनों को रोड परमिट निर्गत करना है एवं मोटरवाहनों का पंजीकरण, फीस और कर का आरोपण एवं संग्रहण एवं चालक अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का उत्तरदायित्व जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंपा गया है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान वाहनों पर कर से संबंधित 49 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों (डी.टी.ओ: 38, आर.टी.एस: 9, एस.टी.सी: 1 एवं पी.एस.यू:1) में से 35 इकाइयों (डी.टी.ओ: 30, आर.टी.एस: 3, एस.टी.सी: 1 एवं पी.एस.यू:1) के अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा हमने ₹ 96.82 करोड़ से सन्निहित 292 मामलों में राजस्व का कम आरोपण/आरोपण नहीं किया जाना, कम वसूली/वसूली नहीं किया जाना तथा अन्य त्रुटियों का पता लगाया जो निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका-4.1

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	परिवहन वाहनों से मोटर वाहन करों की वसूली नहीं किया जाना	24	3.50
2	एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	69	7.75
3	निबंधन के लिए लंबित टैक्सी/कैब से एकमुश्त कर की वसूली नहीं किया जाना	22	2.49
4	व्यापार प्रमाण पत्र का शुल्क का कम/नहीं वसूल किया जाना	26	4.20
5	बगैर अस्थायी निबंधन के वाहनों को सौंपा जाना एवं जुर्माना का आरोपण नहीं किया जाना	15	1.83
6	हल्के मालवाहक वाहनों से एकमुश्त कर की कम वसूली एवं विलम्ब से एकमुश्त कर जमा करने पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना	26	1.28
7	मूलधन एवं ब्याज की वसूली नहीं किया जाना	1	67.76
8	अन्य मामले	109	8.01
	कुल	292	96.82

अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2015 के दौरान, विभाग ने 10 मामलों में अंतर्निहित ₹ 1.39 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किए जाने/कम आरोपण, वसूली नहीं किए

¹ भागलपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ और वैशाली।

जाने/कम वसूली तथा अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 36.87 लाख से सन्निहित 4 मामले वर्ष के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किए गए थे।

दृष्टांतस्वरूप ₹ 17.45 करोड़ के कर प्रभाव से सन्निहित कुछ मामले निम्न कंडिकाओं में वर्णित हैं।

4.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा उनके अधीन निर्मित नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि निम्न का आरोपण एवं भुगतान हो:

- वाहन मालिकों द्वारा उचित दरों पर वाहन कर/अतिरिक्त कर;
- निर्धारित अवधि के अन्दर तथा अग्रिम में कर/अतिरिक्त कर; तथा
- यदि 90 दिनों के अन्दर कर का भुगतान नहीं किया जाता है, तो कर के दुगुना तक अर्थदण्ड।

कुछ मामलों में, जैसा कि कंडिकायें 4.4 से 4.9 में वर्णित हैं, अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 17.45 करोड़ के कर का नहीं/कम आरोपण, नहीं/कम वसूली इत्यादि हुई।

4.4 मोटर वाहनों पर करों की वसूली नहीं किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा कराधान पंजी/वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयरेंस टेबल की आवधिक समीक्षा हेतु तंत्र के अभाव के फलस्वरूप 21 जिला परिवहन कार्यालयों में ₹ 3.19 करोड़ के मोटर वाहन करों की वसूली नहीं हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों² के वर्ष 2013-14 की अवधि के कराधान पंजी एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि 21 जिला परिवहन कार्यालयों³ में 3,961 नमूना-जांचित परिवहन वाहनों (निबंधित परिवहन वाहनों की कुल संख्या: 99,245) में से 981 वाहन के मालिकों ने अप्रैल 2011 एवं सितम्बर 2014 के बीच की अवधि का ₹ 1.07 करोड़ के कर का भुगतान नियत तिथि के भीतर नहीं किया था। यह बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 5 एवं 9 के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि मोटर वाहन कर का भुगतान उस करारोपण पदाधिकारी को किया जाना है, जिनके क्षेत्राधिकार में वाहन निबंधित है। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो चूककर्ता वाहनों को जब्त किया और न ही चूककर्ता वाहन मालिकों के विरुद्ध बकाया की वसूली हेतु माँग पत्र निर्गत किया, जैसाकि बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम की धारा 22 के तहत अपेक्षित है। किसी भी मामले में वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन अथवा कर के भुगतान से छूट पाने हेतु दस्तावेजों के अभ्यर्पण संबंधी सूचना अभिलेख पर नहीं पाये

² औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, पूर्वी चम्पारण, गया, गोपालगंज, कटिहार, कैमूर, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, नवादा, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) और पश्चिम चम्पारण।

³ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, गोपालगंज, कैमूर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णियाँ, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सीवान एवं सुपौल।

गये। पुनः ₹ 2.12 करोड़ का अर्थदण्ड भी बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1994 के नियम 4(2) के तहत आरोप्य था, जो उपबंधित करता है कि करों के भुगतान नहीं किये जाने के मामले में करारोपण पदाधिकारी बकाये कर की राशि का 25 और 200 प्रतिशत के बीच अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है। इस प्रकार ₹ 1.07 करोड़ के कर एवं ₹ 2.12 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई। उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा कमजोर अनुश्रवण तंत्र को प्रदर्शित करता है, यद्यपि पूर्ववर्ती वर्षों में हमने इसे बार-बार इंगित किया था।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.5 ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली

व्यवसायियों के स्वामित्व में रखे गये सभी मोटर वाहनों हेतु ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली निबंधन प्राधिकारियों ने सुनिश्चित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 3.85 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की वसूली कम हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि से संबंधित ट्रेड टैक्स पंजियों, संचिकाओं एवं वाहन डाटाबेस की संवीक्षा की तथा पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि 23 जिला परिवहन कार्यालयों⁴ में नमूना जाँच किये गये 82 वाहन के व्यवसायियों (281 व्यवसायियों में से) को जनवरी 2011 एवं अगस्त 2014 के बीच की अवधि के दौरान 507 ट्रेड सर्टिफिकेट प्रदान किये गये थे, जबकि इन व्यवसायियों ने इस अवधि में 5,18,911 वाहन प्राप्त किये थे, जैसाकि उनके द्वारा प्रपत्र बी-2 में दाखिल घोषणा एवं वाहन डाटाबेस के निबंधन टेबल से सुस्पष्ट था।

यद्यपि निबंधन प्राधिकारियों को उनके स्वामित्व में रखे गये वाहनों की संख्या से संबंधित सूचना उपलब्ध थी, उन्होंने शेष 5,18,404 वाहनों हेतु चूककर्ता व्यवसायियों के विरुद्ध ट्रेड सर्टिफिकेट फीस के लिये माँग सृजन हेतु कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं किया, जैसाकि केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 33 के साथ पठित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत अपेक्षित था, जो उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई मोटर वाहन नहीं चला सकता है, जबतक कि वाहन निबंधित न हो तथा व्यवसायी के स्वामित्व में रखे गये किसी मोटर वाहन को निबंधन कराने से छूट प्रदान की जा सकती है, बशर्ते कि वह उस निबंधन प्राधिकारी से ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हों। अतः इस चूक के कारण ₹ 3.85 करोड़ के ट्रेड सर्टिफिकेट फीस की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

⁴ औरंगाबाद, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, गोपालगंज, कैमुर (भभुआ), कटिहार, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा (बिहारशरीफ), पटना, पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सीवान, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6 एकमुश्त कर

4.6.1 एकमुश्त कर की वसूली नहीं/कम वसूली

जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा एकमुश्त कर का आरोपण नहीं/कम किये जाने के फलस्वरूप ₹ 6.26 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं/कम वसूली हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयरेंस टेबल की संवीक्षा की तथा मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच पाया कि 19 जिला परिवहन कार्यालयों⁵ के करारोपण पदाधिकारियों ने 27,010 नमूना-जांचित वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या: 1,62,248) में से 1,620 वाहनों (ट्रैक्टर, ट्रेलर, टैक्सी/कैब, तिपहिया, हल्के मालवाहन), जिनका निबंधन मार्च 2010 एवं सितम्बर 2014 के बीच हुआ था, के मालिकों से ₹ 6.26 करोड़ का एकमुश्त कर की वसूली नहीं की थी, जैसाकि निम्न तालिका 4.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.2

वाहन का प्रकार चूककर्ता वाहनों की संख्या	संविहित कार्यालयों की संख्या	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा अवलोकन
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) 628	8 जिला परिवहन कार्यालय ⁶	275.31	संशोधन से पूर्व के दर पर कर प्रभारित किये जाने के कारण 248 वाहनों से कम वसूली (₹ 151.82 लाख), 206 वाहनों का एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया जाना (₹ 103.94 लाख) एवं 174 वाहनों के एकमुश्त कर का कम भुगतान (₹ 19.55 लाख) किया जाना।
ट्रेलर 101	5 जिला परिवहन कार्यालय ⁷	30.30	101 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान नहीं किया जाना (₹ 30.30 लाख)।
टैक्सी-कैब 412	11 जिला परिवहन कार्यालय ⁸	201.53	संशोधन से पूर्व के दर पर कर प्रभारित किये जाने के कारण 332 वाहनों से कम वसूली (₹ 137.86 लाख) एवं 80 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान (₹ 63.67 लाख) नहीं किया जाना।
तिपहिया वाहन 417	9 जिला परिवहन कार्यालय ⁹	93.59	249 वाहनों के एकमुश्त कर भुगतान नहीं (₹ 78.84 लाख) एवं 168 वाहनों के एकमुश्त कर का कम भुगतान (₹ 14.75 लाख) किया जाना।

⁵ बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, कटिहार, कैमुर, किशनगंज, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालन्दा, पूर्णियाँ, रोहतास (सासाराम), सहरसा, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁶ बेगुसराय, भोजपुर (आरा), गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁷ कटिहार, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁸ भागलपुर, भोजपुर, कैमुर, किशनगंज, मुंगेर, नालन्दा, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

⁹ बेगुसराय, गोपालगंज, कटिहार, मुजफ्फरपुर, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

हल्के माल वाहन 62	3 जिला परिवहन कार्यालय ¹⁰	25.63	61 वाहनों के एकमुश्त कर का भुगतान (₹ 25.37 लाख) नहीं किया जाना तथा एक वाहन का कर संशोधन से पूर्व दर पर प्रभारित किये जाने के कारण कर की कम वसूली (₹ 26,000)।
कुल		626.36	

मामले सरकार/विभाग के मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.6.2 एकमुश्त कर पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया जाना

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने एकमुश्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण नहीं/कम किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 81.56 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं/कम हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के वाहन डाटाबेस के टैक्स विलयरेस टेबल की संवीक्षा की तथा जून एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि सात जिला परिवहन कार्यालयों¹¹ के करारोपण पदाधिकारियों ने नमूना-जाँचित 17,584 वाहनों (निबंधित वाहनों की कुल संख्या: 95,557) में से 2,626 वाहनों (ट्रैक्टर, ट्रैलर, तिपहिया एवं हल्के माल वाहन), जिनका निबंधन अप्रैल 2010 एवं अगस्त 2014 के बीच हुआ था, के मालिकों से एकमुश्त कर के विलम्ब से भुगतान करने हेतु ₹ 81.56 लाख के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की, जैसाकि निम्न तालिका 4.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.3

वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालयों के नाम	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	1,093	जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	22.02
ट्रैलर	276	जिला परिवहन कार्यालय, कटिहार, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	11.17
तिपहिया	967	जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	27.07
हल्के माल वाहन	290	जिला परिवहन कार्यालय, गोपालगंज, मधेपुरा, पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	21.30
कुल	2,626		81.56

मामले सरकार/विभाग को मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹⁰ बेगुसराय, गोपालगंज एवं समस्तीपुर।

¹¹ गोपालगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णियाँ, सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6.3 निबंधन लम्बित रहने के कारण एकमुश्त कर एवं अर्थदण्ड की वसूली नहीं होना

निबंधन प्राधिकारियों ने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदनों के लंबित रहने का अनुश्रवण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ के एकमुश्त कर की वसूली नहीं हुई।

हमने छ: जिला परिवहन कार्यालयों¹² में वर्ष 2013-14 के वाहन डाटाबेस में 23,682 परिवहन वाहनों के निबंधन अभिलेखों की नमूना जाँच की तथा मई एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि 482 वाहनों (ट्रैक्टर: 200, ट्रेलर: 105, तिपहिया: 157, टैक्सी/कैब: 10, हल्के मोटर वाहन: 10) के मालिकों ने अप्रैल 2010 एवं मार्च 2014 के बीच अपने वाहनों के निबंधन हेतु आवेदन दिया था। परन्तु इन वाहनों के मालिकों को निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया था और निबंधन प्राधिकारियों के पास अबतक लम्बित था, जो केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 47 की अवहेलना थी, जिसमें प्रावधान है कि आवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर परिवहन वाहन से संबंधित निबंधन प्रमाण पत्र मालिक को सुपूर्द कर दिया जाना है। निबंधन प्राधिकारी निबंधन हेतु आवेदन को लम्बित रहने का अनुश्रवण नहीं कर सके। इस प्रकार 482 वाहनों के निबंधन लम्बित रहने के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ का एकमुश्त कर का संग्रहण नहीं हुआ था, जैसाकि निम्न तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4

वाहन का प्रकार	चूककर्ता वाहनों की संख्या	सन्निहित कार्यालयों की संख्या	एकमुश्त कर का नहीं/कम वसूली (₹ लाख में)
ट्रैक्टर (वाणिज्यिक)	200	जिला परिवहन कार्यालय मुंगेर, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	81.93
ट्रेलर	105	जिला परिवहन कार्यालय भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	31.50
तिपहिया	157	जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	44.01
टैक्सी/कैब	10	जिला परिवहन कार्यालय पूर्णियाँ एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)	5.18
हल्के माल वाहन	10	जिला परिवहन कार्यालय (पश्चिम चम्पारण)	3.30
कुल	482		165.92

मामले सरकार/विभाग को मई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹²

भागलपुर, मुंगेर, पूर्णियाँ, समस्तीपुर, सीवान एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.6.4 अधिनियम के प्रावधान को गलत लगाये जाने के कारण एकमुश्त कर की कम वसूली

15 वर्षों के बजाय 10 वर्षों के लिए निबंधन की वैधता की अनुमति दिए जाने के कारण ₹ 18.48 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

छ: जिला परिवहन कार्यालयों (भोजपुर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा एवं सुपौल) में वाहन डाटाबेस के टैक्स क्लियरेंस टेबल की संवीक्षा के दौरान नवम्बर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच हमने पाया कि 567 नये निबंधित तिपहिया वाहनों (नमूना-जाँचित 971 में से) को अप्रैल 2013 एवं मार्च 2014 के बीच 15 वर्षों के बजाय 10 वर्षों के लिये निबंधन की वैधता की अनुमति दी गई थी, जो बिहार वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 3(सी) के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो यह उपबंधित करता है कि नये तिपहिया वाहनों को 15 वर्षों के लिये निबंधन की वैधता दी जायेगी। जिला परिवहन पदाधिकारी उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.48 लाख के एकमुश्त कर की कम वसूली हुई।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.7 अस्थायी निबंधन के बगैर वाहनों की सुपुर्दगी के कारण राजस्व की हानि

अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये बगैर क्रेताओं को वाहनों की सुपुर्दगी के फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ की हानि हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 अवधि के वाहन डाटाबेस के ऑनर टेबल तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा 13 जिला परिवहन कार्यालयों¹³ में पाया (मई 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) कि ट्रेड सर्टिफिकेट के धारकों ने जनवरी 2011 एवं अप्रैल 2014 के बीच की अवधि के दौरान क्रेताओं को 1,15,574 वाहन (हल्के मोटर वाहन: 3,851 तथा दो पहिया: 1,11,723) बगैर अस्थायी निबंधन चिन्ह आवंटित किये सौंप दिया था। यह केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 42 के प्रावधान का उल्लंघन था, जो उपबंधित करता है कि कोई भी ट्रेड सर्टिफिकेट धारक, बिना स्थायी अथवा अस्थायी निबंधन के मोटर वाहनों को क्रेताओं को नहीं सौंपेंगे। निबंधन प्राधिकारियों (जिला परिवहन पदाधिकारियों) ने उन वाहनों का स्थायी निबंधन कर दिया, जिन्हें अस्थायी निबंधन के बगैर क्रेताओं को सौंप दिया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 1.06 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

मामले सरकार/विभाग को सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

¹³

औरंगाबाद, भागलपुर, भोजपुर (आरा), दरभंगा, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मुंगेर, नवादा, पूर्णियाँ, सीवान, वैशाली (हाजीपुर) एवं पश्चिम चम्पारण (बेतिया)।

4.8 मोटर वाहनों के व्यवसायियों से ट्रेड टैक्स तथा अर्थदण्ड की कम वसूली

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने मोटर वाहनों के व्यवसायियों द्वारा विहित दर पर ट्रेड टैक्स भुगतान की सत्यता सुनिश्चित नहीं की, जिसके फलस्वरूप ₹ 22.30 लाख के ट्रेड टैक्स की कम वसूली हुई।

हमने 30 जिला परिवहन कार्यालयों के वर्ष 2013-14 की अवधि के लिये मोटर वाहनों के निर्माताओं/व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत उनके अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों से संबंधित घोषणा तथा निबंधन पंजियों की संवीक्षा की तथा पाया (मई और नवम्बर 2014 के बीच) कि सात जिला परिवहन कार्यालयों¹⁴ में 16 मोटर वाहनों के व्यवसायियों ने अप्रैल 2011 तथा मई 2014 की अवधि में अपने अधिकार में रखे गये 19,429 वाहनों (16,946 दोपहिया तथा 2,483 तीन/चार पहिया) हेतु विहित दर पर ट्रेड टैक्स कम जमा किया था। यह बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा इसके तहत बने नियमावली के प्रावधानों की अवहेलना थी, जो उपबंधित करता है कि मोटर वाहन के निर्माता अथवा व्यवसायी को अपने व्यापार के क्रम में अपने अधिकार में रखे गये मोटर वाहनों के लिये निर्माता/व्यवसायी के रूप में वार्षिक विहित दर पर करों का भुगतान करना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने व्यवसायियों द्वारा समर्पित घोषणा के अनुसार ट्रेड टैक्स के भुगतान की सत्यता की जाँच नहीं की तथा सितम्बर 2007 में राज्य परिवहन आयुक्त के निदेशों के अनुरूप कर की वसूली तथा ट्रेड सर्टिफिकेट के नवीकरण हेतु कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 22.30 लाख के ट्रेड टैक्स की वसूली कम हुई।

मामले सरकार/विभाग को अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.9 अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं किया जाना

विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली किये बिना क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर का निबंधन संख्या आवंटित किये जाने के फलस्वरूप ₹ 20.60 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

चार जिला परिवहन कार्यालयों (बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं वैशाली) के डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर तथा वाहन डाटाबेस की संवीक्षा के दौरान हमने अक्टूबर एवं दिसम्बर 2014 के बीच पाया कि 21 व्यवसायियों, जिन्हें डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के तहत नवंबर 2011 एवं अगस्त 2014 के बीच की अवधि के दौरान निबंधन चिह्न निर्गत किए गए थे, ने क्रेताओं को अनुक्रम से बाहर 412 निबंधन संख्या (कुल 66,512 में से) आवंटित किया था, जिस पर विशिष्ट निबंधन संख्या हेतु अतिरिक्त निबंधन फीस की वसूली नहीं की गई थी, जैसा कि बिहार मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1992 के तहत निर्गत अधिसूचना (जून 2003) में विहित था, जो उपबंधित करता है कि अगर किसी वाहन का मालिक अनुक्रम से बाहर की विशेष निबंधन संख्या हेतु आवेदन करता है, तब ₹ 5,000 का अतिरिक्त निबंधन फीस प्रभारित होगा। विभाग ने पुनः व्यवसायियों के सेल इन्वाइस के अनुसार निबंधन संख्या का आवंटित ब्लॉक से निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु भी निदेशित किया था (जुलाई 2009)। संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारियों ने विशिष्ट निबंधन संख्या निर्गत करने हेतु व्यवसायियों से फीस की वसूली के लिए कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की थी। इसके फलस्वरूप ₹ 20.60 लाख के अतिरिक्त फीस की वसूली नहीं हुई।

¹⁴

भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, लखीसराय, मधुबनी, नालन्दा (बिहारशरीफ) एवं सीतामढ़ी।

मामले सरकार/विभाग को फरवरी एवं मार्च 2015 के बीच प्रतिवेदित किये गये थे; हमें उनके उत्तर अभी तक अप्राप्त हैं (अक्टूबर 2015)।

4.10 आंतरिक लेखापरीक्षा

किसी भी विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक विशेष साधन है, जिसे साधारणतया सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें एक संगठन को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है कि सभी विहित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, जिसे वित्त (लेखा परीक्षा) कहा जाता है, वित्त विभाग के अंतर्गत कार्य करता है तथा विभिन्न कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा, प्रशासनिक विभागों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर किया जाता है। मुख्य लेखा नियंत्रक भी लेखापरीक्षा दल की उपलब्धता पर आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु इकाइयों का चयन कर सकते हैं।

वित्त विभाग वर्ष 2014-15 के दौरान परिवहन विभाग का कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं किया था।